संख्या–1747 / 49–3–2011–100(7) / 2008

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

विषयः– बंद पड़े सहकारी शीतगृहों की नीलामी / बिक्री के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–905 / 49–3–2008–100(7) / 2008, दिनांक 8–4–2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बंद पड़े शीतगृहों की भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, बाजार दर, वाणिज्यिक दर तथा कृषि भूमि दर पर करवाये जाने एवं इनमें से अधिक मूल्यांकित धनराशि पर मूल्यांकन समिति का अनुमोदन प्राप्त करके मूल्यांकित धनराशि के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश निर्गत है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी शीतगृहों पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का ऋण लगे होने एवं ऋण वसूली हेतु निगम द्वारा ऋण वसूली अभिकरण, नई दिल्ली में वाद दायर करने तथा पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार बंद पड़े शीतगृहों की बिक्री अभी तक न हो पाने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर उक्त शासनादेश दिनांक 8–4–2008 को इस अंश तक संशोधित किया जाता है कि "बंद पड़े शीतगृहों की भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर ही" किया जायेगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 8–4–2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1747(1) / 49–3–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव मा0 सहकारिता मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– निबंधक, सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ।
5– वेब मास्टर कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियाँ उ0प्र0 लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।